न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–46/2018

Sl No date of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office Action taken with date
13.2.20	मंजू देवी, जौ0–वैजनाथ दास– आवेदक प्रथम विभा देवी, जौ0–मन्टु दास– आवेदक द्वितीय सा0–भोजहा, थाना+अंचल–बरहट, जिला–जमुई। **बनाम** राम रविदास, पे0–स्व0 बन्धु रविदास– विपक्षी प्रथम सा0–भोजहा, थाना+अंचल–बरहट, जिला–जमुई। **अभिलेख उपस्थापित।** विचाराधीन जमाबंदी रद्दीकरण वाद मंजू देवी, जौ0–वैजनाथ दास वगैरह के आवेदन दिनांक–08.05.2018 के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त वाद में उभयपक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की गई तथा उभयपक्षों द्वारा अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए बहस की गई तथा अपना लिखित बहस पेश की गई। **वादी (प्रथम पक्ष) का कथन :–** (1) आवेदकगण का कहना है कि विपक्षी के नाम से खाता सं0–228, खेसरा सं0–2235 की कुल 40डी0 भूमि की जमाबंदी संख्या–328 जाली हुकुमनामा व कागजात के आधार पर राजस्व कर्मचारियों के मेल मे लाकर निर्मित किया गया है। इसलिए उक्त जमाबंदी सं0–328 गलत एवं अवैध और अनुचित है तथा रद्द करने लायक है। (2) परिवादी का कथन है कि विपक्षी ने अपने जबाव में स्वीकार किया है कि खाता सं0–228 के कई खेसरा जिसमें खेसरा सं0–2235 भी सम्मिलित है, खतियान में नरूल्ला, बोनू और शुकर मियां, पेसरान– डोमन मियां एक हिस्सा और जीतू चमार एवं मांझी चमार पेसरान शिवलाल चमार एक हिस्सा व हिस्सा बराबर दर्ज था। यह भी स्वीकार किया गया है खेसरा सं0–2235 का कुल रकवा–56डी0 है। (3) विपक्षीगण द्वारा स्वीकार किया गया है कि खाता सं0–228 के खेसरा सं0–2235 के कुल 56डी0 में से 40डी0 भूमि भूतपूर्व जमींदार के द्वारा उनके पिता बंधु चमार को वर्ष 1941 में बंदोवस्ती से प्राप्त हुई है। (4) विपक्षी द्वारा यह भी दावा किया गया है कि खाता सं0–228 के खेसरा सं0–2235 की 40डी0 भूमि उनके पिता के नाम पर दाखिल रिटर्न के आधार पर उनके पिता बंधु चमार के नाम पर जमाबंदी सं0–318/364 कायम की गई है। (5) विपक्षी द्वारा अपने जबाव के कंडिका 20 में स्वीकार किया गया है कि 56डी0 भूमि में से 03डी0 भूमि घमण्डी एवं प्रसादी द्वारा आंधी रविदास से दिनांक–03.05.51 में एवं 05डी0 भूमि टिका रविदास से दिनांक–07.06.52 में क्रय की गई है, जो उनके पूर्वज होते है। (6) विपक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि आवेदकगण का 10डी0 भूमि पर दखल–कब्जा है। अवशेष 06डी0 भूमि पर भी आवेदकगण का दखल है।	

(7) आवेदकगण द्वारा उक्त 03डी0 भूमि पर इंदिरा आवास का निर्माण किया गया है। साथ ही उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर आवेदकगण का पुराना मिट्टी का मकान है तथा शेष भूमि खाली है, जिसमें आवेदकगण द्वारा सब्जी उपजाई जाती है।

(8) आवेदकगण उक्त भूमि पर स्थित मिट्टी के मकान को तोड़कर प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाना चाहते है, परन्तु विपक्षी द्वारा आवेदकगण के अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने मे बाधा उत्पन्न कर रहे है।

(9) आवेदकगण द्वारा अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर को सम्पूर्ण 56डी0 भूमि की मापी कराकर आवेदकगण के 16डी0 जमीन को अलग करने हेतु निदेश देने का अनुरोध किया गया है।

<u>प्रतिवादी (द्वितीय पक्ष) का कथन :–</u>

(1) जमाबंदी सं0–318 विपक्षी राम रविदास के नाम से नहीं है बल्कि यह जमाबंदी बंधु चमार उर्फ बोधू चमार, पे0–ढोढो चमार के नाम से है। इस प्रकार आवेदकगण को जमाबंदी रैयत का सही–सही नाम भी ज्ञात नहीं है। अतः उसकी ओर से राम रविदास के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। वह युक्तिसंगत और न्यायसंगत नहीं है क्योकि राम रविदास के नाम से जमाबंदी सं0–318 नहीं है।

(2) जमाबंदी सं0–318/364 बंधु चमार उर्फ बोधू चमार के नाम से दर्ज है। इस जमाबंदी के खाता नं0–228, खेसरा सं0–2235, रकवा–40 डी0 भूमि है।

(3) खाता सं0–228 का सर्वे खतियान में नरूल्ला, बोनू और शुकर मियां, पेसरान–डोमन मियां एक हिस्सा और जीतू चमार एवं मांझी चमार पेसरान शिवलाल चमार एक हिस्सा व हिस्सा बराबर दर्ज है, जिसे खतियानी रैयत द्वारा भूतपूर्व जमींदार को समर्पित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण खाते की जमीन पर भूतपूर्व जमींदार का दखल–कब्जा हो गया।

(4) खाता सं0–228 में अनेक खेसरों में से एक खेसरा 2235 है, जिसका रकवा–56डी0 है, जिसे भूतपूर्व जमींदार द्वारा ऑधी चमार, पे0–छेंदी चमार और टीका चमार, पे0–एतवारी चमार को बंदोवस्त कर दिया गया। बंदोवस्ती के उपरांत वे भूतपूर्व जमींदार को लगान नहीं दे सके जिसके कारण उनके विरूद्ध रेन्ट सूट नं0–2179/1938 मुंसिफ, जमुई के न्यायालय में दाखिल किया, जिसकी डिक्री उनके पक्ष में हुई। फिर इजराय वाद सं0–560/1940 दाखिल कर डिक्री टल एमाउंट की वसूली हेतु कार्रवाई की गई, जिसमें खाता सं0–228 की जमीन पर नीलामी कर दी गई, जिसे बनैली राज के जमींदार द्वारा खरीद लिया गया।

(5) तत्पश्चात् बनैली राज द्वारा खाता सं0–228 के खेसरा सं0–2235 के रकवा–56 डी0 में से 40 डी0 की बंदोवस्ती विपक्षी के पिता बंधु चमार के पक्ष में वर्ष 1941 में कर दिया गया, जिसका परवाना उनके नाम से जारी किया गया और वे दखल–कब्जा में आये तथा जमींदारी रसीद निर्गत की गई फिर उनके नाम रिटर्न दाखिल किया गया। रजिस्टर–2 में उनके पिता का नाम दर्ज किया गया जिसका जमाबंदी नं0–318/364 है, जो अब तक कायम है और विपक्षी के पिता जब तक जीवित थे, मालगुजारी बिहार सरकार को देते रहे तथा अब विपक्षी देते आ

रहे है।

(6) प्लॉट नं0–2235 के रकवा–40 डी0 के कुछ भाग पर विपक्षी के पिता द्वारा बनाया गया मकान अभी भी अवस्थित है जिसमें विपक्षी सपरिवार निवास करते आ रहे है।

(7) आवेदिका के ससुर धानो चमार के पिता घमण्डी चमार 19.07.1985 में विपक्षी के पिता बंधु चमार के विरूद्ध ग्राम पंचायत में इसी जमीन के बाबत मुकदमा किये जिसमें उनके पिता का दखल–कब्जा पाया गया।

(8) घमण्डी रविदास और 15 अन्य के द्वारा विपक्षी राम रविदास के विरूद्ध मुंसिफ, जमुई के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0–45/1988, खाता सं0–228 के खेसरा सं0–2235 के रकवा–35$\frac{1}{2}$डी0 पर किया गया, जो दिनांक–12.12.1996 को खारिज हो गया।

(9) खाता सं0–228 के खेसरा सं0–2235, रकवा–56 डी0 पर धारा 144 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही चली, जिसमें घमण्डी रविदास भी पक्षकार थे, में घमंडी रविदास को उनकी हार हुई और 40 डी0 जमीन पर जारी नोटिस राम रविदास के पक्ष में खारिज कर दी गई।

(10) घमण्डी रविदास द्वारा अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर के समक्ष आवेदन दिया गया कि उन्हें खाता सं0–228, खेसरा सं0–2235, रकवा–56डी0 का विपक्षी राम रविदास द्वारा जोत आबाद नहीं करने दिया जा रहा है। उनके आवेदन पर विविध वाद सं0–4/87–88 दर्ज किया गया, जिसके जाँचोपरांत घमण्डी रविदास का दावा झुठा पाया गया तथा आवेदन को दिनांक–29.03.1988 को खारिज कर दिया गया।

(11) खाता सं0–228, खेसरा सं0–2235 के सम्पूर्ण रकवा–56 डी0 विपक्षी राम रविदास के दखल–कब्जा में है।

(12) उक्त 40 डी0 जमीन पर विपक्षी राम रविदास का तीन किता मकान, दो आम का वृक्ष, पक्का कुआँ, जिसे सरकारी खर्च से बनाया गया है। ईट भठ्ठा इत्यादि अवस्थित है।

(13) जमाबंदी सं0–318/364 जो विपक्षी के पिता बंधु चमार उर्फ बोधू चमार के नाम के नाम से खाता सं0–228 के खेसरा सं0–2235 के खाता सं0–40 डी0 भूमि से संबंधित है, जो 75 साल पुराना है, जिसे रद्द करने का कोई न्याय संगत कारण नहीं है।

(14) आवेदिका को अपने ससुर धानो रविदास से 5–5 डी0 जमीन केवाला द्वारा प्राप्त है उसका कोई संबंध विपक्षी के 40 डी0 जमीन से नहीं है।

(15) विपक्षी का यह भी कहना है कि आवेदिका के ससुर धानो चमार के पूर्वज धमण्डी रविदास को विपक्षी के 40 डी0 के बावत सभी मुकदमों में हार हुई है, जिसे अब वह अपने पुत्रवधु के नाम केवाला लिखकर विपक्षी के विरूद्ध झुठा और निराधार यह जमाबंदी रद्दीकरण वाद लाया गया है, जो खारिज होने योग्य है।

<u>उभयपक्षों के सुनवाई तथा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से निम्नांकित तथ्य उभरकर सामने आते है :–</u>

(1) विपक्षी द्वारा प्रस्तुत सर्वे खतियान की नकल की छाया–प्रति के अनुसार प्रश्नगत भूमि खाता सं0–228, खेसरा सं0–2235, कुल रकवा–56डी0 नरूल्ला वो बोनू वो शुकर मियां, पेसरान–डोमन एक हिस्सा

और जीतू चमार वो मांझी चमार पेसरान शिवलाल चमार एक हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज है।

(2) विपक्षी द्वारा प्रस्तुत सेल सर्टिफिकेट के अनुसार मुंसिफ मजिस्ट्रेट, जमुई के आदेश से खाता सं0–228, खेसरा सं0–2235, रकवा–40डी0 भूमि नीलाम कर दी गई थी।

(3) विपक्षी द्वारा दावा किया गया है कि प्रश्नगत भूमि खाता सं0–228 की भूमि खतियानी रैयत द्वारा भूतपूर्व जमींदार को समर्पित कर दिया गया था, जिसमें विवादित खेसरा 2235 रकवा–56डी0 भी सम्मिलित है। प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमींदार द्वारा आंधी चमार, पे0–छेदी चमार और टीका चमार पे0–एतवारी चमार को बंदोवस्त कर दिया गया। बंदोवस्ती के उपरांत लगान नहीं दे सकने के कारण उनके विरूद्ध रेन्ट सूट नं0–2179/1938 मुंसिफ, जमुई के न्यायालय में भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल किया गया, जिसमें डिक्री उनके पक्ष में हुई। पुनः इजराय वाद सं0–560/1940 डिक्री राशि की वसूली हेतु दाखिल की गई, जिसमें हुई नीलामह में बनैली राज द्वारा खरीद लिया गया तथा बनैली राज द्वारा प्रश्नगत खेसरा 2235 की 56डी0 भूमि में से 40डी0 भूमि की बंदोवस्ती विपक्षी के पिता बंधु चमार के नाम से वर्ष 1941 में कर दिया गया। जमींदारी रिटर्न के आधार पर जमाबंदी सं0–318/364 विपक्षी के पिता बंधु चमार के नाम से कायम की गई। अपने दावा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में अंचल कार्यालय के स्टेट रजिस्टर के नकल की छाया–प्रति, वनैली राज द्वारा निर्गत रसीद, जमीन नीलामी सर्टिफिकेट में मुंसिफ, जमुई द्वारा पारित आदेश दिनांक–30.01.1941 की छाया–प्रति एवं सरकार के सिरिस्ता में 1977–78 से लेकर वर्ष 2018–19 तक निर्गत कई लगान रसीद की छाया–प्रति प्रस्तुत किया गया है।

(4) विपक्षी द्वारा सबजज–02, जमुई के न्यायालय में दायर स्वत्व वाद सं0–45/1986 धमण्डी रविदास बनाम राम रविदास एवं अन्य में सबजज–02 द्वारा दिनांक–12.12.1996 को पारित आदेश की छाया–प्रति संलग्न की गई है। उक्त स्वत्व वाद में धमण्डी रविदास द्वारा विपक्षी को उनका लाईसेंसी बताते हुए प्रश्नगत भूमि में स्वत्व का दावा किया गया था जिसे सबजज–02 द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.12.96 में खारिज करते हुए विपक्षी राम रविदास एवं अन्य के पक्ष में आदेश पारित किया गया।

(5) विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुमंडल दण्डाधिकारी, जमुई के न्यायालय में दायर वाद सं0–195एम0/1986 बुनिया देवी बनाम बैजू रविदास में विपक्षी के विरूद्ध खेसरा 2235, रकवा–40 डी0 पर जारी नोटिस को अनुमंडल दण्डाधिकारी, जमुई खारिज कर दिया गया।

(6) विपक्षी द्वारा साक्ष्य के रूप में विविध वाद सं0–04/87–88 में अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक–29.03.1988 की छाया–प्रति संलग्न की गई है। उक्त वाद में धमण्डी रविदास द्वारा प्रश्नगत भूमि खेसरा 2235 के रकवा–56डी0 का जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप विपक्षी राम रविदास पर लगाया गया था, जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक–29.03.1988 द्वारा खारिज कर दिया गया।

स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा विपक्षी के पिता बंधु रविदास के नाम पर कायम जमाबंदी सं0–328, खाता सं0–228, खेसरा सं0–2235, रकवा–40डी0 को रद्द करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। अपने लिखित बहस में भी आवेदकगण के द्वारा खेसरा सं0–2235 के

सम्पूर्ण 56डी0 भूमि का नापी कराकर 16डी0 भूमि अलग करने हेतु अनुरोध किया गया है। स्पष्ट है कि आवेदक के पास विपक्षी की जमाबंदी संख्या–328 को रद्द करने का न तो कोई तार्किक कारण और न ही पर्याप्त साक्ष्य है। अतः आवेदकगण के आवेदन को खारिज किया जाता है एवं यह सलाह दी जाती है कि यदि वे अपनी भूमि की मापी कराना चाहते है तो विहित प्रक्रिया के तहत अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर के समक्ष विहित रूप से आवेदन देकर अपनी भूमि की मापी करा सकते है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

13/2/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

13/2/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 419 /रा0, दिनांक 18.02.2020

प्रतिलिपि :–उभयपक्षों/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/2/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।